छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 72/2007</u>

1. श्री रामकुमार साहू, अपीलार्थी
   नया सरकण्डा,
   बंगाली पारा,
   बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ....

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
   शासकीय महाविद्यालय,
   बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

   .... प्रतिअपीलार्थी
2. जन सूचना अधिकारी,
   कार्यालय आयुक्त,
   उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
3. कुल सचिव,
   गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
   बिलासपुर ।

:: आदेश ::

(<u>दिनांक 08 मार्च, 2007</u>)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री राम कुमार साहू ने अपनी पुत्री झरना साहू के बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष 2006 के मुख्य परीक्षा में भौतिक शास्त्र, गणित एवं आधार पाठ्यक्रम में फेल होने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति चाही थी । प्राचार्य शासकीय स्वशासी विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि इस संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा से मार्गदर्शन चाहा गया है । मार्गदर्शन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । आयुक्त, उच्च शिक्षा को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि भी अपीलार्थी को दी गई । आयुक्त, उच्च शिक्षा के द्वारा कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जावे कि क्या आवेदक को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति दी जा सकती है तथा उसके लिए क्या फीस ली जावे । क्या छात्र के न्यायालयीन प्रकरण के चलते हुए उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है । चूंकि स्वशासी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करते है । अतः कुल सचिव से अनुरोध किया गया कि वे उक्त मार्गदर्शन शासकीय शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर को प्रदान करे । इस संबंध में प्राचार्य के द्वारा कुल सचिव, घासीदास विश्वविद्यालय को स्मरण भी कराया गया । अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील की गई । प्राचार्य के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आयोग के समक्ष की गई ।

2/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रति अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्को पर विचार किया गया । प्रति अपीलार्थी प्राचार्य शासकीय विज्ञान स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर के द्वारा अपने जवाब में बतलाया कि उनके द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया था । गुरू घासीदास विश्वविद्यालय की सूचना क्रमांक–499/गोपनीय/06 का उल्लेख करते हुए यह बतलाया कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत पुनः मूल्यांकन के लिए दो विषयों में फेल छात्र को ही पात्रता है । कु0 झरना साहू तीन विषयों में अनुत्तीर्ण हुई है । अतः वह पुर्नमूल्यांकन के लिए पात्र नहीं है । अतः उसे उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती । अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि उसकी पुत्री कक्षा दसवी एवं बारहवी में भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र में विशेष योग्यता (Distn) प्राप्त है अतः विश्वविद्यालय के तीन विषयों में उसका अनुत्तीर्ण होना संदेहास्पद है । छात्रा के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उसे उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान की जाना चाहिए ।

3/ आयोग के द्वारा प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार किया गया । आवेदक की पुत्री कु0 झरना साहू की अंकसूची हायर सेकेण्डरी की छायाप्रति से स्पष्ट होता है कि छात्रा लगभग सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की है । अतः स्वभाविक रूप से उसका तीन विषयों में अनुत्तीर्ण होना संदेह की स्थिति स्पष्ट करता है । अतः छात्रा के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस संदेह को दूर किया जावे, इस दृष्टि से यह निर्देश दिये जाते हैं कि छात्रा के द्वारा वांछित तीन विषयों की उत्तर पुस्तिकायें निःशुल्क प्राचार्य द्वारा अवलोकन करा दिया जावे एवं उसके बाद जितने विषयों में आवेदिका चाहे विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए कुलपति, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के द्वारा छात्रा को विशेष प्रकरण शुल्क लेकर मानकर पुनः मूल्यांकन कराकर छायाप्रति देने की अग्रिम कार्यवाही की जावे । इस आदेश की प्रति जन सूचना अधिकारी, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, कुलपति, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ0ग0 शासन को भेजी जावे ।

4/ उक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है ।

ए0के0 विजयवर्गीय
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त